न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 28 / 2024 / (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2024 / 85

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सुल्तानपुर** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

विनोद पुत्र राधेश्याम जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 29/01/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सुल्तानपुर** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **विनोद पुत्र राधेश्याम जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा।** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	01/01-01-2024	13 आरपीजीओ	02/5-01-2024	100 रू0 जुर्माना
2.	11/15-01-2024	13 आरपीजीओ	7/20-01-2024	100 रू0 जुर्माना

अतः **विनोद पुत्र राधेश्याम जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल बावजूद सुचना अनुपस्थित रहा है। गैरसायल बावजूद सूचना

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अनुपस्थिन रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही के संबध में कोई सुनवाई नही चाहता है।

अतः थानाधिकारी **सुल्तानपुर** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **सुल्तानपुर** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 के तहत दर्ज हुए है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **विनोद पुत्र राधेश्याम जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **15** दिन के लिऐ **थाना सुल्तानपुर** कोटा की सीमा से **जिला बून्दी** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी कापरेन ,जिला बून्दी** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी कापरेन ,जिला बून्दी** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **15** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 20...../**02/2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **सुल्तानपुर** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **विनोद पुत्र राधेश्याम जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला कोटा** को दिनांक 20...../**02/2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **सुल्तानपुर** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी कापरेन ,जिला बून्दी** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी कापरेन ,जिला बून्दी** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **सुल्तानपुर** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र **सुल्तानपुर** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26.............. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(बीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर कोटा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा